न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 105 / 2024

हंसा कवंर धर्मपत्नि श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्दपुरा झोटवाडा जयपुर तह0 जयपुर जिला जयपुर।

...... वादीया

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र वालूराम
2. कमलादेवी पत्नि रामेश्वरलाल
3. कैलाशचन्द पुत्र हनुमान
4. खेमा पुत्र लिछमण
5. गुलाव देवी पत्नि अर्जुनलाल
6. गोपाल लाल पुत्र भूराराम
7. चुकी देवी पत्नि भीवाराम
8. देवू देवी पत्नि छितरमल
9. नान्ची देवी पत्नि नारायण
10. भीवाराम पुत्र भूराराम
11. महेन्द्र पुत्र हनुमान
12. मोहन पुत्र रामू
13. मोहरी देवी पत्नि वालू
14. रूकमा देवी पत्नि गोपाल लाल
15. रमेश पुत्र हनुमान
16. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम
17. लालाराम पुत्र हनुमान
18. श्रवण पुत्र लाला
19. संजूदेवी पुत्री हनुमान
20. समीक्षा पुत्र हनुमान
21. सीताराम पुत्र घासीराम
22. हीरा पुत्र रामू

    समस्त जाति जाट निवासी भीखावास तहसील जोवनेर जिला जयपुर राज0।
23. तारा कसंल पत्नि संजीव कंसल
24. संजीव कसंल पुत्र मन्नालाल कंसल

    समस्त जातियान महाजन निवासी प्लाट नं0वी–144 सेठी कॉलोनी सेटेलाईट हास्पीटल के पास जवाहर नगर जयपुर जिला जयपुर राज0।
25. रमेशचन्द कालीरावण पुत्र पन्नाराम कालीरावण जाति जाट निवासी रावातपुरा तह0 व जिला अजमेर।
26. मेनेजर कॉरपोरेशन बैंक शाखा हिंगोनिया तहसील जोवनेर।
27. मेनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक कालख।
28. मेनेजर आईडीवीआई बैक लिमिटेड शाखा चम्पापुरा तह0 कालवाड जिला जयपुर।
29. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा तहसील जोबनेर।
30. मेनेजर देना बैंक शाखा जोवनेर तहसील जोवनेर।
31. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जोवनेर।
32. तहसीलदार तहसील जोवनेर जिला जयपुर।

प्रतीवादीगण

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता वादीया

2. श्री चन्दन सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 23 व 24

दिनांक :— 04 / 12 / 2024

निर्णय

वादीया द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी खाता सं0 86 खाता सं0 पुराना 84 की आराजी ख0न0 62 रकबा 2.0485 है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 2.0485 है0 है वाके ग्राम भीखावास पटवार हल्का बस्सीनागा, भू0अभि0नि0 क्षेत्र कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मे वादी का हिस्सा 10/81 हिस्सा राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज व अंकित अनुसार है। खातेदार मखनीदेवी पत्नि हनुमान की मृत्यु हो जाने से उसके दर्ज हिस्से 1/80 पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 3,11,15,17,19,20 उसमे दर्ज हिस्से पर काबिज काश्त व खातेदार है। वर्तमान मे जमीनो के भाव मे वृद्धि होने से प्रतिवादीगण की नियत मे फितुर उत्पन्न हो गया तथा अब प्रतिवादीगण अपने मौके के कब्जे काश्त मे फैर बदल कर वादीगण के मौके कब्जे के आराजी पर काबिज होकर वादी को बेदखल करना चाहते है तथा अपनी आराजी को दिगर व्यक्तियो को बैचान कर वादी के कब्जे काश्त मे दखल पैदा कर मनचाही जगह पर काबिज करवाने हेतू आमदा है ओर मनचाही जगह कब्जा कर निर्माण करने की फिराक मे लगे हुए है। इसी आशय से दिनांक 20.9.2024 को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये और मनचाही जगह पर बैचान करने का सौदा करने की धमकी दी, वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया और मौके कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01 लगा0 25 बिना मौके एवं कब्जे अनुसार विभाजन कराये मनचाही जगह पर कब्जा करके वादीया को बेदखल करने पर आमादा है।

वादीया का बाद बाबत विभाजन आराजियात का विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित आराजी ख0न0 62 रकबा 2.0485 है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 2.0485 है0 वाके ग्राम भीखावास पटवार हल्का बस्सीनागा, भू0अभि0नि0 क्षेत्र कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके कब्जे अनुसार विभाजन की जाकर प्राथमिक डिकी पारित की जाकर नक्शे कुर्रेजात मंगवाये जाकर अंतिम डिकी पारित कर वादी व प्रतिवादीगण की आराजीयात की भूमि पृथक–पृथक की जाकर लगान व भूमि की फाडबंदी की जावें। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड/नक्शे मे अमल दरामद फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 तथा 25 लगायत 32 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 23 एवं 24 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आएं। प्रतिवादी संख्या 23 एवं 24 जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीया ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादीया का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 23 एवं 24 द्वारा दौराने बहस वादीया का वाद मौके कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 का अवलोकन किया। विवादित आराजी खसरा नं. 62 रकबा 2.0485 हे0 वाकै ग्राम बस्सी नागा तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है जबकि आपसी सहमति से काश्त की सुविधा से हिस्सा मुताबिक बाहमी बंटवारा हो रखा है। इसलिए वादीया मौके कब्जे अनुसार विभाजन करवाने की अधिकारी है। अतः दावा वादीया प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीया स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी 62 रकबा 2.0485 हे0 वाकै ग्राम बस्सी नागा तहसील जोबनेर में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मौके कब्जे एवं हिस्सेदारान की भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये रिपोर्ट कुर्रेजात दो प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाये। तदानुसार प्राथमिक डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2024 को टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/12/2024

(मुकुट सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते